

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक प.2/लेखा-1/2017-18/

आहरण एवं वितरण अधिकारी

जिला आयुर्वेद अधिकारी (निम्नानुसार)

9557-89

दिनांक

15.5.17

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंचल प्रसूता केन्द्र/पंचकर्म केन्द्र/जरावस्था निवारण केन्द्र हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपको आपके जिले में संचालित आंचल प्रसूता केन्द्र / पंचकर्म केन्द्र / जरावस्था निवारण केन्द्र हेतु बजट मद 2210-04-796-01-01 के अन्तर्गत निम्नानुसार बजट आवंटित किया जा रहा है। आवंटित बजट के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। तदनुसार आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करावे।

(राशि रु हजारों में)

क्र.स.	कार्यालय कोड	आहरण वितरण अधिकारी	केन्द्र का नाम जिसके संचालन हेतु बजट आवंटित किया जा रहा है।	आंचल प्रसूता केन्द्र		पंचकर्म केन्द्र	जरावस्था निवारण केन्द्र	योग
				60-मैथिल एवं औषधियाँ	61-खाद्य सामग्री	60-मैथिल एवं औषधियाँ	60-मैथिल एवं औषधियाँ	
1	2238	जि.आ.अ. चित्तौड़गढ़	राज जिला आयु. चिकित्सालय चित्तौड़गढ़	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2	9770	जि.आ.अ. बांसवाड़ा	राज जिला आयु. चिकित्सालय बांसवाड़ा	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			राज आयु. चिकित्सालय खोडन बांसवाड़ा	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
			राज आयु.चिकित्सालय कुपडा, बांसवाड़ा	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3	6023	जि.आ.अ. कोटा	राज आयु. जिला चिकित्सालय तलवण्डी कोटा।	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
4	4386	जि.आ.अ. बूंदी	राज आयु. चिकित्सालय बूंदी	200.00	60.00	0.00	200.00	460.00
			राज आयु. चिकित्सालय बालचन्द का पाडा-बूंदी	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
5	11034	जि.आ.अ. झूगरपुर	राज जिला आयु. चिकित्सालय झूगरपुर	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			राज आयु. चिकित्सालय खडगदा झूगरपुर	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
6	3887	जि.आ.अ. सीकर	राज जिला आयु. चिकित्सालय सीकर	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
7	8906	जि.आ.अ. सिरोही	राज आयु. चिकित्सालय माउण्ट आबू	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
8	9738	जि.आ.अ. अलवर	राज आयु.चिकित्सालय नवाबपुरा अलवर	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
9	10681	जि.आ.अ. सवाई माधोपुर	राज आयु. चिकित्सालय शिवाड, सवाईमाधोपुर	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
			राज आयु. चिकित्सालय सवाईमाधोपुर	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
10	11902	जि.आ.अ. झुझुनु	बी.डी.के.राज.आयु.चिकित्सालय एक छत के नीचे झुझुनु	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
11	6544	जि.आ.अ. पाली	राज जिला आयु. चिकित्सालय पाली	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			राज आयु. चिकित्सालय आसरालाई-पाली	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12	12235	जि.आ.अ. दौसा	राज आयु. चिकित्सालय दौसा	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
13	16246	जि.आ.अ. 'ब'क्षेत्र जयपुर	राज आयु. चिकित्सालय बरकृतनगर,जयपुर 'ब' क्षेत्र	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
14	17577	जि.आ.अ. टोंक	राज आयु. चिकि. मालपुरा टोंक	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
15	12439	जि.आ.अ. प्रतापगढ़	राज आयु. चिकित्सालय प्रतापगढ़	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			राज आयु. चिकित्सालय प्रतापगढ़	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16	13125	जि.आ.अ. नागौर	राज आयु. चिकित्सालय नागौर	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17	14473	जि.आ.अ. उदयपुर	राज आयु. चिकित्सालय मावली उदयपुर	200.00	60.00	0.00	0.00	260.00
18	19272	जि.आ.अ. करौली	राज आयु. चिकित्सालय करौली	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
19	12752	जि.आ.अ. राजसमन्द	राज आयु.चिकित्सालय देवगढ़-राजसमन्द	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
			राज.आयु.औष कांकरोली-राजसमन्द	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
20	15810	जि.आ.अ. बाडमेर	राज आयु. चिकित्सालय बाडमेर	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
			राज आयु. चिकित्सालय एक छत बाडमेर	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
21	16945	जि.आ.अ. भीलवाड़ा	राज जिला आयु. चिकित्सालय भीलवाड़ा	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
22	5927	जि.आ.अ. भरतपुर	राज आयु.चिकित्सालय सिटी भरतपुर	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
23	6113	जि.आ.अ. जैसलमेर	राज जिला आयु. चिकित्सालय जैसलमेर	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
योग				1600.00	480.00	1600.00	1800.00	5480.00

नोट:-

- उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे। बजट आवंटन उपलब्ध राशि के सीमान्तर्गत किया गया है।
- प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- प्रावधान राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व आरटीपीपी एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमान्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
- नियमानुसार कय समिति का गठन किया जावे, जिसमें लेखाकर्मियों व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सदस्य मनोनित किया जाकर कय की कार्यवाही की जावे।
- कय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि जि.आ.अ. कार्यालय में की जाकर सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सामग्री इश्यू की जावे।
- सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जावे।
- पृथक पृथक योजनानुसार सम्बन्धित केन्द्र पर व्यय राशि का विवरण/सूचना वर्ष के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे।

निदेशक

क्रमांक प.2/लेखा-1/2017-18/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।

2-उपनिदेशक आयुर्वेद जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा

3. प्रभारी सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा

3-लेखा-4 अंक मिलान शाखा निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

4. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

दिनांक

15.5.17

वित्तीय सलाहकार